

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या... 2074...
दिनांक... 10/11/2020...

क्रमांक: प.2(2)गृह-9/2020

जयपुर, दिनांक:- 9 NOV 2020

—:परिपत्र:—

विषय:- गृह विभाग की ऑनलाईन की गई सेवाओं में आवेदन पत्रों का निपटारा निर्धारित समयावधि में करने बाबत।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के क्रम में गृह विभाग की निम्नांकित सेवाओं से सम्बन्धित कार्य ऑनलाईन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं:-

1. NOC for setting up of Explosives Manufacturing, Storage, Sale, Transport under Explosive Act, 1884 and Explosive Rules, 2008
2. Licencing for Auditorium /Place of public Amusement / Performance for Public Amusement(as applicable)
3. Cinematograph License & License For screening Films (As Applicable)

विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिनियम और नियम में उपलब्ध आवेदन पत्र, प्रक्रिया के आधार पर तीनों सेवाओं को SSO पोर्टल पर लॉच कर दिया गया है। विस्फोटक नियम, 2008 के नियम, 103 में अनापत्ति जारी करने की समय-सीमा निर्धारित है। राजस्थान सिनेमा (विनियमन) नियम, 1959 के नियम 10 में भी अनुज्ञप्ति/एन.ओ.सी. जारी की समय-सीमा निर्धारित है। The Rajasthan Dramatic Performance and Entertainments Ordinance 1949 और The Rajasthan Dramatic Performances and Entertainments Rules, 1955 के तहत प्राप्त आवेदनों का निपटारा 30 दिवस में किया जावे।

अतः उक्त तीनों सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों का निपटारा इन अधिनियम/नियम में प्रावधित समय-सीमा में ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आज्ञा से,

-sd-

(भवानी शंकर)

वरिष्ठ उप शासन सचिव
एवं राज्य नोडल अधिकारी, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त, राजस्थान।
4. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

अ.स.स.स.
9/11/2020